

11

राजस्थान सरकार
कार्मिक-5 विभाग

✓ 45

क्रमांक प. 9826 कार्मिक/क-5/95

जयपुर, दिनांक 1 MAY 1999

परिपत्र

विषय-राजस्थान सरकार के अखान पदों और सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित- जाति प्रमाण-पत्र दिये जाने हेतु आदेश।

इस विभाग को अधिसूचना संख्या प. 988 कार्मिक/क-5/90 दिनांक 28.9.93 के साथ उपाखंड अनुसूची के कॉलम तीन में अन्य पिछड़े वर्ग के उन व्यक्तियों/ वर्गों/सम्पन्न वर्गों को विनिर्दिष्ट किया गया है, जिनको आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। उक्त उपाखंड अनुसूची के बिन्दु संख्या-11 में राजकीय सेवाओं में कार्यरत वर्ग-1 एवं वर्ग-2 स्तर के अधिकारियों पर लागू होने वाले अपवर्जन के नियम वर्णित है। इस विभाग के समसंबन्धक परिपत्र दिनांक 15.4.96 द्वारा अपवर्जन के प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार के समकक्ष ग्रुप-1 व ग्रुप-2 स्तर के अधिकारियों के मापदण्ड निर्धारित किये गये थे।

राज्य सरकार द्वारा प्राक्क्षेप वेतन आयोग को सिफारिशों के अरूप पुनरीक्षित वेतनमान 1998 लागू किये जाने के उपरान्त अपवर्जन के प्रयोजनार्थ पूर्व में जारी परिपत्र दिनांक 15.4.96 द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अधीन में केन्द्र सरकार के समकक्ष वर्ग-1 एवं वर्ग-2 स्तर के अधिकारियों के संशोधित मापदण्ड निम्न प्रकार किये जाते हैं:-


	वर्तमान वर्गीकरण	संशोधित वेतनमान के पश्चात् वर्गीकरण
वर्ग-1	वेतनमान संख्या 16 { 2200-4000 } से { 5900-6700 }	वेतनमान संख्या 13 { 8000-13500 } से 22 { 18400 - 22400 }
वर्ग-11A	वेतनमान संख्या 13 { 1640-2900 } से 15 { 2000-3500 }	वेतनमान संख्या 11 { 5500-9000 } से 12 ए { 7500 - 12000 }

अतः इस सम्बन्ध में समस्त जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले समस्त प्राधिकृत अधिकारियों को निर्देशित किया जावे कि अन्य पिछड़े वर्ग के होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों को उपरोक्त निर्धारित संशोधित मापदण्डों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया जाकर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

✓
सुधीर भार्गव
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूदनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यालय / मुख्यमंत्री महोदय, राज 0 जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्रा / राज्यमंत्री, राज 0 जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राज 0 जयपुर।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, जिला कलेक्टरों सहित।


शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूदनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. निबन्धक, राज 0 उच्च न्यायालय, जोधपुर।
5. निबन्धक, राज 0 सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।


शासन उप सचिव

केलाश

30.4.1999.